भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
लोक सभा

**अतारांकित प्रश्न संख्या 5484**

दिनांक 2 मई, 2000 को उत्तर के लिए

**वेतनमानों में विसंगति**

**5484. श्री जी गंगा रेड्डी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में पृथकतः अनुवादकों, सहायक निदेशकों, अनुवाद अधिकारियों के वेतनमान क्या हैंः

(ख) क्या दोनों विभागों में एक समान वेतनमान है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं : और

(घ) विसंगति दूर करने हेतु क्या कार्रवाई का गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

**उत्तर**

**गृह राज्य मंत्री (श्री आई.डी. स्वामी)**

(क): केन्द्रीय सचिवालय राजाभाषा सेवा तथा केन्द्रीय अनुवादक ब्यूरो के अनुवादकों, सहायक निदेशकों तथा अनुवाद अधिकारियों के वेतनमान, निम्नप्रकार हैंः

| **क्र.सं.** | **पदनाम** | **केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में वेतनमान** | **केन्द्रीय अनुवादक ब्यूरो में वेतनमान** |
|---|---|---|---|
| (i) | कनिष्ठ अनुवादक | 5000-8000/रू. | कोई पद नहीं |
| (ii) | वरिष्ठ अनुवादक | 5500-9000/रू. | 6500-10500/रू. |
| (iii) | सहायक निदेशक | 6500-10500/रू. | 8000-13500/रू. |
| (i) | अनुवाद अधिकारी | कोई पद नहीं | 7500-12000/रू. |

(ख): जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग): वेतन आयोग ने केन्द्रीय अनुवाद ब्यरो के वरिष्ठ अनुवादकों के लिए उच्च वेतनमान की सिफारिश इसलिए की चूंकि केन्द्रीय अनुवादक ब्यूरो में वरिष्ठ अनुवाद की अर्हता, अनुवाद कार्य में डिप्लोमा तथा तीन वर्ष के अनुभव स्नातकोत्तर है । सक्षम प्राधिकरण ने उक्त सिफारिश को मान लिया है ।

(घ): केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के कनिष्ठ अनुवादकों, वरिष्ठ अनुवादकों तथा सहायक निदेशकों (रा.भा.) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के समतुल्य पदों में समानता लाने से संबंधित मामला, सक्षम प्राधिकरण के साथ उठाया जा सकता है ।